न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 186/2018

अनवान :

1. भीमसिंह पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. श्योकरण पि0मु0 पतराम जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. गुगनराम पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. रामी पत्नी शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. दलीप पुत्र शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
6. गोविन्द पुत्र शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
7. विजेन्द्र पुत्र शीशपाल जात कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
8. बलवीर पुत्र शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
9. कमलेश पुत्री शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
10. शीला पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
11. तीजा पुत्री श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
12. सुनीता पुत्री सावित्री
13. निर्मला पुत्री सावित्री
14. सन्तोष पुत्री सावित्री
15. प्रदीप पुत्र सावित्री

   पत्नी सुरजभान जाति कुम्हार निवासी हाल ढाणीगारण जिला हिसार।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : वादी

निर्णय **दिनांक : 2.11.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचडी के खाता सं0 132/118 के मु0नं0 39 के किला नं0 16 ता 20, 23 ता 25 मु0नं0 40 के किला नं0 18 ता 23 मु0नं0 51 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 10 मु0नं0 52 के किला नं0 3 ता 8, किला नं0 12 व 13, 18 व 19 तथा 22 व 23 की 8.096 है0 भूमि व रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु0नं0 62 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

63 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15, कुल 2.277 है0 भूमि प्रतिवादी श्योकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 17 एएमएस के खाता सं0 118/111 के मु0नं0 86 के किला नं0 17 व 18, 23 ता 25 की 1.265 है0 प्रतिवादी श्योकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 82/78 के मु0नं0 68 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18 किला नं0 23 ता 25 मु0नं0 69 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 मु0नं0 82 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10, मु0नं0 83 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल 13.156 है0 में प्रतिवादी श्योकरण के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो पहले वादी के दादा पतराम की खातेदारी हुआ करती थी। पतराम के देहान्त होने पर वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी श्योकरण ने तन्हा अपने नाम कर्ता खानदान होने के चलते कुल भूमि दर्ज करवा ली। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दु विधि की मीताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 15 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं0 9 ता 15 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा बनता था उसे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिसके उपरान्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का बंटवारा इस प्रकार हुआ कि चक 16 एएमएस की व चक 17 एएमएस के दोनों खातों में प्रतिवादी श्योकरण के नाम जो भूमि दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 8 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्राप्त हो गया है। इसी अनुसार पक्षकारान की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी श्योकरण के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। प्रतिवादी श्योकरण के नाम चक 1 बीएचडी के खाता सं0 132/118 की 8.098 है0 भूमि दर्ज है जो प्रतिवादी श्योकरण के हिस्सा में आ गई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 व 9 ता 15 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 8 ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में दस्तावेजी साक्ष्य वारिस प्रमाण पत्र श्योकरण प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र शिशपाल प्रदर्श , प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 16 एएमएस खाता सं0 180./177 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 3, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 17 एएमएस खाता सं0 118/111 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 4, प्रमाणित चित्रप्रति जमाबन्दी चक 17 एएमएस खाता सं0 82/78 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 5, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण चक 17 एएमएस प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2050 प्रदर्श 7, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू सैटलमेन्ट विभाग चक 16 एएमएस सम्वत् 2019–20 प्रदर्श 8, 11, 12 फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू सैटलमेन्ट विभाग चक 17 एएमएस प्रदर्श 9, 10 व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जमाबन्दी चक 1 बीएचडी खाता सं0 132/118 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 13 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादभूमि पहले वादी के दादा पतराम की खातेदारी हुआ करती थी। पतराम के देहान्त होने पर वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी श्योकरण ने अपने नाम कर्ता खानदान होने के चलते कुल भूमि दर्ज करवा ली। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दु विधि की मीताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 16 व 17 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि को दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व वादी एवं प्रतिवादी हिन्दु होना एवं हिन्द विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण चक 17 एएमएस प्रदर्श 6, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 17 एएमएस सम्वत् 2050 प्रदर्श 7, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू सैटलमेन्ट विभाग चक 16 एएमएस सम्वत् 2019–20 प्रदर्श 8, 11, 12 फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू सैटलमेन्ट विभाग चक 17 एएमएस प्रदर्श 9, 10 प्रदर्शित करवाई है जिससे वाद भूमि वादी के दादा पतराम वल्द काना के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में श्योकरण के वारिसान में तीन पुत्र भीमसिंह, गुगनराम, राजेन्द्र प्रसाद मौजूद होना व दो पुत्री शीला, तीजा मौजूद होना व एक पुत्री सावत्री फौत होना जिसके जायज वारिस तीन पुत्रिया सुनीता देवी, निर्मला, संतोष व एक पुत्र प्रदीप कुमार होना व श्योकरण का एक पुत्र शिशपाल फौत होना जिसके वारिसान में पत्नि रामी, चार पुत्र दलीप कुमार, गोविनदराम, विजेन्द्र सिंह, बलवीरसिंह व एक पुत्री कमलेश होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु0नं0 62 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 63 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15, कुल 2.277 है0 भूमि प्रतिवादी श्योकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 17 एएमएस के खाता सं0 118/111 के मु0नं0 86 के किला नं0 17 व 18, 23 ता 25 की 1.265 है0 प्रतिवादी श्योकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 82/78 के मु0नं0 68 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18 किला नं0 23 ता 25 मु0नं0 69 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 मु0नं0 82 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10, मु0नं0 83 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल 13.156 है0 में प्रतिवादी श्योकरण के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से चकं 16 एएमएस के खाता सं0 180/177 व चक 17

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

एएमएस के खाता सं0 118/111 व खाता स0 82/78 में प्रतिवादी श्योकरण का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। शेष खातेदारी जो चक 1 बीएचडी में स्थित है प्रतिवादी श्योकरण के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 9 ता 15 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2.11.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 186/2018

अनवान :

1. भीमसिंह पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम

1. श्योकरण पि0मु0 पतराम जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. गुगनराम पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
4. रामी पत्नी शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
5. दलीप पुत्र शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
6. गोविन्द पुत्र शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
7. विजेन्द्र पुत्र शीशपाल जात कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
8. बलवीर पुत्र शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
9. कमलेश पुत्री शीशपाल जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
10. शीला पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
11. तीजा पुत्री श्योकरण जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा।
12. सुनीता पुत्री सावित्री
13. निर्मला पुत्री सावित्री
14. सन्तोष पुत्री सावित्री
15. प्रदीप पुत्र सावित्री

    पत्नी सुरजभान जाति कुम्हार निवासी हाल ढाणीगारण जिला हिसार।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु0नं0 62 के किला नं0 1, 10, 11 मु0नं0 63 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15, कुल 2.277 है0 भूमि प्रतिवादी श्योकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 17 एएमएस के खाता सं0 118/111 के मु0नं0 86 के किला नं0 17 व 18, 23 ता 25 की 1.265 है0 प्रतिवादी श्योकरण के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 17 एएमएस के खाता सं0 82/78 के मु0नं0 68 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18 किला नं0 23 ता 25 मु0नं0 69 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 मु0नं0 82 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नं0 1 ता 4, 7 ता 10, मु0नं0 83 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15 कुल 13.156 है0 में प्रतिवादी श्योकरण के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से चक 16 एएमएस के खाता सं0 180/177 व चक 17 एएमएस के खाता सं0 118/111 व खाता सं0 82/78 में प्रतिवादी श्योकरण का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 ता 8 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। शेष खातेदारी जो चक 1 बीएचडी में स्थित है प्रतिवादी श्योकरण के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 9 ता 15 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने एवं यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/11/18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ